



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1756/अका./का.प./2019

रायपुर, दिनांक 20/12/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उन्चासवीं बैठक, गुरुवार, दिनांक 19.12.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- | | |
|---|--|
| 1. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य | 6. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य |
| 2. डॉ. संजय कुमार – सदस्य | 7. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य | 8. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य |
| 4. डॉ. एस.के. जाधव – सदस्य | 9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य |
| 5. डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह – सदस्य | |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.11.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : सम्पुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.11.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा 2019, सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2019-20 एवं मुख्य परीक्षा 2020 के लिए निर्धारित की गई केन्द्र सूची को कार्यपरिषद् के समक्ष सूचना ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालयीन पूरक परीक्षा 2019, सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2019-20 एवं मुख्य परीक्षा 2020 के लिए निर्धारित की गई केन्द्र सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय में पदोन्नति नियम की कंडिका 5 पर संशोधन को मान्य किये जाने के संबंध में।
निर्णय : छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2019/1-3 दिनांक 22.10.2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 4-1/2019/1-3 दिनांक 30.10.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 की नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नया नियम 5 एवं नियम 9 की अनुसूची III में निर्धारित 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर संशोधन संबंधी अधिसूचना के निर्देश विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

5. इंडियन काफी हाउस द्वारा मासिक रख-रखाव शुल्क (Maintanance Charge) 50% पुनः छूट प्रदान करने के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय : माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.01.2019 में निर्णय लिया गया कि – “इंडियन काफी हाउस द्वारा कमजोर विक्रय एवं भारी नुकसान का कारण बताते हुए दिनांक 21.12.2018 को किए गए निवेदन के आधार पर मेंटनेंस चार्ज में 50 प्रतिशत छूट देते हुए रु.12,685.75 (बारह हजार, छः सौ पच्चासी रूपये पचहत्तर पैसे) प्रतिमाह दिनांक 15.11.2017 से दिनांक 14.11.2019 तक के लिए निर्धारित किया गया। अतः अब तक का किराया जमा करवाया जाए। इसके पश्चात् समीक्षा करके पुनः प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।” तदनुसार इंडियन काफी हाउस द्वारा 15.11.2017 से 14.11.2019 तक 50 प्रतिशत छूट के साथ राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा की गई।

उपरोक्त निर्णय को मान्य करते हुए दिनांक 15.11.2019 से 14.11.2021 तक इंडियन काफी हाउस द्वारा मासिक रख-रखाव शुल्क (Maintanance Charge) में 40% छूट प्रदान करते हुए रु. 15223 (पन्द्रह हजार दो सौ तेइस रुपए मात्र) प्रतिमाह विश्वविद्यालय कोष में जमा किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित तालाब (सरोवर) के नामकरण “ज्ञान सरोवर” किये जाने के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित तालाब (सरोवर) का नामकरण “ज्ञान सरोवर” किये जाने का अनुमोदन किया गया।

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

8. कार्यपरिषद् द्वारा कार्यपरिषद् सदस्य में से ग्रंथालय समिति में दो सदस्यों का मनोनयन किये जाने के संबंध में विचारार्थ।

निर्णय : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रन्थागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् सदस्यों में से निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम का अनुमोदन किया गया –

1. प्रो. आभा रूपेन्द्र पाल, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे, प्राचार्य, बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. कंसल्टेंसी रेगुलेशन के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस एवं नियम शर्तों की सक्षम स्वीकृति के संबंध में अनुमोदन हेतु विचारार्थ।

निर्णय : स्टाफ कौंसिल की 52वाँ बैठक में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्रमांक 170 (कंसल्टेंसी) में उल्लेखित रूटीन टेस्टिंग प्रोजेक्ट : कंडिका नं. 4 के तहत रूटीन केमिकल एनालिसिस चार्ज तथा इससे जुड़ी नियम एवं शर्तों (Terms and Conditions) का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –

Decision of staff council

Under the University Consultancy Regulations, the Staff Council unanimously agreed to formulate the proposal and submit to the University for Approval.

As per the provision of ordinance of the university, staff council has proposed consultancy for the analysis of intra-institutional, inter-institutional and outdoor (Industries etc.) samples. Fees structure for the consultancy has also been proposed on the basis of requirement of consumables and cost of the instrumental specifications. The consultancy will be provided under following terms and condition.

Terms & Conditions:

1. GST as per G.O.I rates applicable from time to time.
2. Any test not mentioned here may also be taken up on request.
3. The tests are conducted as per prevailing standard.
4. The job is taken up subject to availability of chemicals, manpower and equipment in working condition.
5. The test results are not certified to be used for legal purposes.
6. The rates are subject to change from time to time.
7. The fees should be deposited in advance by Demand Draft drawn in favour of Principal Investigator/Scientist, School of Studies in Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
8. Clients / Party may also contact for any specific tests and analysis, not included in the list.

Internal Terms and Conditions:

The earned consultancy fees will be distributed as follows (As per regulation 170):

1. 20% amount will be deposited to university.
2. 30% amount will be deposited in departmental account.
3. 30% amount will be utilized by Principal investigator/Scientist.
4. 15% amount will be utilized by Analyst/Project fellow.
5. 5% amount will be paid to staff clerk.

S. No.	Sample/Analysis	Description of Job	Client Type	Total Charge (Rs.)
1.	Elemental Analysis (Per element)	Flame Based	Industry	1000
			Educational Institute/Research Institute	250
		Digestion + Flame	Industry	3000
			Educational Institute/Research Institute	750
		Graphite furnace	Industry	2000
			Educational Institute/Research Institute	500
		Digestion + Graphite furnace	Industry	4000
			Educational Institute/Research Institute	1000
		Digestion from Complex/ Biological Substances	Industry	4000
			Educational Institute/Research Institute	1000
2.	Ionic Component Analysis	Per Ion	Industry	1000
			Educational Institute/Research Institute	250
		Extraction + ion	Industry	3000

		analysis	Educational Institute/Research Institute	750
3.	Organic Analysis (Per Sample)	TD-GC-MS	Industry	3500
			Educational Institute/Research Institute	1500
		TD-GC-FID	Industry	3000
			Educational Institute/Research Institute	1200
		TD-GC-ECD	Industry	4500
			Educational Institute/Research Institute	2000
		Extraction	Industry	3500
			Educational Institute/Research Institute	1500
4.	FT-IR Analysis (Per Sample)	Graph/scanning	Industry	1200
			Educational Institute/Research Institute	300
		Sample treatment + Scanning	Industry	1500
			Educational Institute/Research Institute	500
5.	Fluorescence (Per Sample)	Scanning	Industry	1000
			Educational Institute/Research Institute	300
6.	UV-Visible Spectroscopic Analysis	Scanning	Industry	500
			Educational Institute/Research Institute	200
		Sample treatment + Scanning	Industry	2000
			Educational Institute/Research Institute	500
7.	Tensiometry (Per sample)	Surface Tension measurement	Industry	800
			Educational Institute/Research Institute	200
8.	Electrochemistry	Cyclic voltametry	Industry	2500
			Educational Institute/Research Institute	1500

Other Testing charges:

S. No.	Sample/Analysis	Description of Job	Client Type	Total Charge (Rs.)
9.	Effluent Water (Per Sample)	BOD Biological Oxygen Demand	Industry	4000
			Educational Institute/Research Institute	2150
		COD Chemical Oxygen Demand	Industry	3000
			Educational Institute/Research Institute	1500
		TOC Total Organic Carbon	Industry	4000
			Educational Institute/Research Institute	2000

10.	Water	pH, Total Solids, Turbidity, Alkalinity, Hardness, Calcium, Magnesium, Sulphate, Chloride & Iron	Industry	6000		
			Educational Institute/Research Institute	3000		
		pH, Total Solids, Turbidity, Alkalinity, Hardness, Calcium, Magnesium, Sulphate, Chloride, Iron, Sodium, Potassium, Manganese and Zinc	Industry	7000		
			Educational Institute/Research Institute	3500		
		Iron only	Industry	650		
			Educational Institute/Research Institute	300		
		pH/Conductivity- each	Industry	600		
			Educational Institute/Research Institute	300		
		11.	Food (Per Sample)	Estimation of Total Fe content in Food Samples	Industry	1500
					Educational Institute/Research Institute	500
Estimation of Total Fats content in Food Samples	Industry			2100		
	Educational Institute/Research Institute			700		
Carbohydrate Content in Food Samples	Industry			2500		
	Educational Institute/Research Institute			700		
Protein Content in Food Samples	Industry			2000		
	Educational Institute/Research Institute			1000		
Estimation of Total Zn content in Food Samples	Industry			2000		
	Educational Institute/Research Institute			750		
Estimation of Total Ca content in Food Samples	Industry			3000		
	Educational Institute/Research Institute			800		
Estimation of Total Mn content in Food Samples	Industry			3000		
	Educational Institute/Research Institute			1000		
Estimation of Total Fe, Zn, Ca and Mn content in Food Samples	Industry	4000				
	Educational Institute/Research Institute	2000				
12.	Tea (Per Sample)	Moisture, ash, alkalinity of ash and ash insoluble in acid	Industry	4000		
			Educational Institute/Research Institute	2000		
13.	Fertilizers	Sulphate of Ammonia for Nitrogen only	Industry	1000		
			Educational Institute/Research Institute	500		
		Urea for Nitrogen only	Industry	1000		
			Educational Institute/Research Institute	500		
		Super-Phosphate for P ₂ O ₅	Industry	1000		
			Educational Institute/Research Institute	500		

		Muriate of Potash for K ₂ O	Industry	1000		
			Educational Institute/Research Institute	500		
		Mixed Fertilizer for NPK	Industry	3000		
			Educational Institute/Research Institute	1500		
		Zinc Sulphate	Industry			
			Educational Institute/Research Institute	1000		
		Each Additional Element	Industry	1000		
			Educational Institute/Research Institute	500		
		Phosphate only	Industry	2000		
			Educational Institute/Research Institute	1000		
		14.	Clay, Ash, Minerals like Limestone, Dolomite, Rock, Metallic minerals, Refractory Materials and Iron Ore	Chemical Analysis for the constituents- LOI, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Industry	3000
					Educational Institute/Research Institute	1950
Each Additional Components like IR, SO ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, Chloride, etc.	Industry			1500		
	Educational Institute/Research Institute			700		
Phosphate	Industry			2000		
	Educational Institute/Research Institute			1000		

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. सेमेस्टर परीक्षा 2019 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि 9,00,000=00 (नौ लाख रुपए मात्र) का अनुमोदन करना।
निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा 2019 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि 9,00,000=00 (नौ लाख रुपए मात्र) का अनुमोदन किया गया।
11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति सत्र 2019-20 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में।
निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति सत्र 2019-20 के लिए छात्रवृत्ति चयन समिति में कार्यपरिषद् की ओर से/निम्नांकित तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया :-
(1) प्रो. के.के. घोष, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
(2) प्रो. एस.के. जाधव, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
(3) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय

अर्थशास्त्र अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. भारतीय आर्थिक परिषद् (Indian Economic Association) का 102^{वाँ} वार्षिक अधिवेशन का आयोजन (दिनांक 27-29 दिसम्बर 2019 के बीच) किया जाना है, इस हेतु विश्वविद्यालय मद से राशि रु. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपए मात्र) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : भारतीय आर्थिक परिषद् (Indian Economic Association) का 102^{वाँ} वार्षिक अधिवेशन का आयोजन (दिनांक 27-29 दिसम्बर 2019 के बीच) किया जाना है, इस हेतु विश्वविद्यालय मद से राशि रु. 50,00,000=00 (पचास लाख रुपए मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. मानव संसाधन विकास केन्द्र की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) से वृद्धि कर रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : मानव संसाधन विकास केन्द्र की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) से वृद्धि कर रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.12.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.12.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. गोपनीय मुद्रण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : वर्ष 2018-19 की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षा (मई-जून 2019), पूरक परीक्षा (अक्टूबर-नवम्बर 2019) एवं सी.बी.एस. प्रवेश परीक्षा बुकलेट के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक 18,58,534.00 (अट्ठारह लाख अठावन हजार पांच सौ चौतीस रुपए मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. परीक्षा मद से सत्र 2019-20 के लिए बजट पुनर्नियोजन करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : वित्तीय सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित परीक्षा मदों (संख्या 05) के प्रावधानित राशियों से राशि (संख्या 02 में) रु. 200.00 लाख का निम्नानुसार पुनर्नियोजन किये जाने का अनुमोदन किया गया-

क्र.	मद विवरण	प्रावधानित राशि (लाखों में)	राशि में वृद्धि पश्चात् (लाखों में)	निम्न मद से पुनर्नियोजन किया गया	औचित्य
01	02	03	04	05	06
01	F. Result Processing Charges page(23)	100.00	300.00	F. (5) Examination Centre Expenditure page (23) के प्रावधानित राशि 350.00 लाख से 100.00 लाख F. (6) Center Valuations page(23) के प्रावधानित राशि 350.00 लाख से 100.00 लाख	रिजल्ट प्रोसेसिंग के कार्य के भुगतान हेतु

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. परीक्षा पश्चात् 2018-19 रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 2,14,84,012.00 (दो करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार बारह रुपए मात्र) के भुगतान के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : परीक्षा पश्चात् 2018-19 रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 2,14,84,012.00 (दो करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार बारह रुपए मात्र) के भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालय प्रेस के उन्नयन हेतु नई प्रिंटिंग मशीनों का क्रय किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : (1) सिंगल कलर आफसेट मशीन Size 18x25 HMT कंपनी के स्थान पर Government e-Marketing अथवा निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।
(2) Shyam Trading Company, Raipur (C.G.) के द्वारा Toshiba Model : Tohiba Printer e-Studio 7516AC मशीन आपूर्ति किया गया है। उक्त फर्म को भुगतान करने के लिये रु. 5,97,562.00 (पाँच लाख सन्तानबे हजार सात सौ बैसठ रुपए मात्र) स्वीकृति प्रदान की गई।

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) से वृद्धि कर रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) से वृद्धि कर रु. 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।

IPR Cell से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. आई.पी.आर. सेल के आकस्मिक व्ययों के लिए स्थायी अग्रिम (इम्प्रेस्ट) के संबंध में विचार करना।
निर्णय : IPR Cell को स्थायी अग्रिम (इम्प्रेस्ट) के रूप में रु. 10,000/- की स्वीकृति प्रदान कर यह भी निर्णय लिया गया कि IPR Cell के नाम से Bank में एक खाता खोला जाए।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया, सहायक प्राध्यापक, भूगोल रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली के त्यागपत्र की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया, सहायक प्राध्यापक, भूगोल रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली के त्यागपत्र की सूचना ग्रहण की गई।
9. विश्वविद्यालय का प्रस्तावित 25वाँ दीक्षांत समारोह 10 जनवरी, 2020 के पश्चात् आयोजन की अधिसूचना की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय का प्रस्तावित 25वाँ दीक्षांत समारोह 10 जनवरी, 2020 के पश्चात् आयोजन के लिए जारी अधिसूचना की सूचना ग्रहण की गई तथा वेश-भूषा हेतु पूर्व वर्ष की भाँति यथावत रखने का निर्णय लिया गया, जो निम्नांकित है :-

माननीय अतिथि	विशिष्टकरण सहित परिधान
मंच पर उपस्थित अतिथिगण (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य अतिथिगण)	
जैकेट :- कोसा रंग का जैकेट	विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
पगड़ी :- गुलाबी रंग	
स्टॉल :- (1) नेवी ब्लू (Navy Blue) वेलवेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा होगा (2) कुलसचिव - Navy Blue जिसमें 1 इंच का सिल्वर जरी पट्टा होगा	
विद्यापरिषद्, कार्यपरिषद् एवं संकायाध्यक्ष	(A) सफेद कुर्ता-पायजामा (B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी (C) पगड़ी (D) दुपट्टा (Stoll) :- मैरून रंग का वेलवेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा

गोल्ड मेडल छात्र-छात्रा एवं पी-एच.डी. हेतु	(A) सफेद कुर्ता-पायजामा
	(B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी
	(C) पगड़ी
	(D) दुपट्टा (Stoll) :-
(i) गोल्ड मेडल हेतु	साटन सिल्क – पिले रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा
(ii) पी-एच.डी.	साटन सिल्क – लाल रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा

टीप : (a) पगड़ी एवं दुपट्टा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, शेष परिधान स्वयं के द्वारा धारण कर दीक्षांत समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। महिलाओं के लिये पगड़ी ऐच्छिक (Optional) होगा।

(b) समस्त दुपट्टा (Stoll) की लम्बाई 2 मीटर, तथा 1 विश्वविद्यालय के मोनाग्राम बाईं तरफ कंधे से लगभग 6 से 8 इंच नीचे होगी, जिससे वह बैठने पर भी दृष्ट्यव्य होगी।

विधि प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को निलंबन अवधि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2008 तक समस्त प्रयोजन के लिए सेवाकाल मान्य करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को निलंबन अवधि दिनांक 08.11.2005 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2008 तक समस्त प्रयोजन के लिए सेवाकाल मान्य करते हुए भुगतान किया जाना है। भुगतान करने के पश्चात् आगामी कार्यपरिषद् में भुगतान की गई राशि को सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

11. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के विरुद्ध लंबित अग्रिम के समायोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के विरुद्ध लंबित अग्रिम के समायोजन के संबंध में 3 सदस्यीय विशेष जाँच समिति गठित करके पूरे प्रकरण की DENOVO Enquiry करने का निर्णय लिया गया। समिति गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय परिसर के सौन्दर्यीकरण एवं परिसर के सड़कों के चौड़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों के किनारे पेवर्स ब्लॉक लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण एवं परिसर की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मार्गों के किनारे पेवर्स ब्लॉक लगाये जाने हेतु प्रथम चरण में राशि रु. 36,81,207/- (छत्तीस लाख इक्कासी हजार दो सौ सात) की स्वीकृति, Engg. Unit Renovation of Building Fund से व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

13. विश्वविद्यालय परिसर में L.E.D. स्ट्रीट लाईट फिटिंग्स हेतु राशि रु. 7,00,154/- (सात लाख एक सौ चौवन रुपए) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में L.E.D. स्ट्रीट लाईट फिटिंग्स हेतु राशि रु. 7,00,154/- (सात लाख एक सौ चौवन रुपए) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।


गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


14. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन बाबत।

निर्णय : विभिन्न संकायों में कुल 15 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 08.11.2019 से 17.12.2019 (अधिसूचना क्रमांक 3350 से 3364 तक) निम्नानुसार शोधार्थियों की सूची का अनुमोदन किया गया :-

कला संकाय	- हिन्दी-02, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान -01
सामाजिक विज्ञान संकाय	- समाजशास्त्र-02, इतिहास-01
वाणिज्य संकाय	- वाणिज्य-03
गृहविज्ञान संकाय	- गृहविज्ञान-01
विज्ञान संकाय	- रसायनशास्त्र-01, कम्प्यूटर विज्ञान-01
जीव विज्ञान संकाय	- मानव विज्ञान-01, वनस्पति शास्त्र-01, प्राणीशास्त्र-01

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पू. क्रमांक : 1757 / अका./ का.प./ 2019

रायपुर, दिनांक 20/12/2019

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)